कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।

क्रमांक–शिविरा–माध्य/मा–रा/22444/विविध/2019/14 दिनांक: 27.05.2019

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,
(मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा

विषय :– खसरा–रूबेला रोग की रोकथाम के क्रम में।

प्रसंग :– प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान जयपुर का अर्द्धशासकीय पत्रांक : पं.24(83)शिक्षा–6/2015 दिनांक : 08.05.2019 एवं शासन उप सचिव–प्रथम शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान जयपुर का पत्रांक : पं.17(01)शिक्षा–1/2014 पार्ट दिनांक : 17.05.2019

उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगान्तर्गत लेख है कि खसरा एक जानलेवा एवं तीव्र गति से फैलने वाला अति संक्रामक रोग है तथा प्रभावित रोगी द्वारा खांसने एवं छींकने से फैलता है। इसके प्रभाव से बच्चों को निमोनिया, दस्त एवं मस्तिष्क में संक्रमण जैसी घातक बीमारियों का खतरा बना रहता है, जो नवजात शिशुओं एवं बच्चों की मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। इसी प्रकार गर्भावस्था के आरम्भ से ही महिला को रूबेला का संक्रमण होने की संभावना रहती है, जिससे होने वाले शिशु में अंधापन, बहरापन, मानसिक मंदता एवं दिल की बीमारी हो सकती है। रूबेला संक्रमण से गर्भवती महिला में गर्भपात एवं Still Birth की संभावना भी बढ जाती है।

रूबेला का टीका रोग से बचाव का एक सशक्त माध्यम है। खसरा एवं रूबेला रोग का बचपन में टीकाकरण कराए जाने से इसके प्रसार एवं गंभीर खतरों को रोका जा सकता है। इसी उद्देश्य से भारत सरकार के निर्देशानुसार राज्य के 09 माह से 15 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के टीकाकरण हेतु राज्य में माह जुलाई 2019 से "खसरा–रूबेला अभियान" प्रारम्भ किया जा रहा है।

खसरा–रूबेला अभियान का संचालन निम्न प्रकार किया जाएगा :–

- ❖ अभियान के पहले दो से तीन सप्ताह में सभी सरकार, गैर सरकारी, निजी विद्यालयों, मदरसों, बालवाडी एवं मकतब आदि में बच्चों का टीकारण किया जायेगा।
- ❖ अगले दो सप्ताहों में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के आउटरीच/बाह्य सत्रों पर स्कूल नहीं जाने वाले बच्चों, छूटे हुए बच्चों आदि तथा मोबाईल टीम द्वारा ईंट, भट्टों, घुमंतू आबादी के बच्चों का टीकारण किया जायेगा।
- ❖ खसरा–रूबेला अभियान के छठे सप्ताह में छूटे हुए बच्चों के टीकाकरण हेतु इस गतिविधि को आवश्यकतानुसार पुनः दोहराया जायेगा।

इस अभियान में विभाग की अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी एवं विभाग का विशेष उत्तरदायित्व निम्न प्रकार रहेंगे :–

- ❖ प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक एवं नोड्ल अध्यापक ब्लॉक/सेक्टर मुख्यालय पर आयोजित आमुखीकरण में आवश्यक रूप से उपस्थित रहे।
- ❖ जिला स्तर पर आयोजित होने वाली DTFI में जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक एवं माध्यमिक एवं ब्लॉक स्तर पर BTFI में CBEO आवश्यक रूप से भाग लेंगे।

E:\Genral letter.docx

Scanned by CamScanner

❖ अभियान हेतु प्रत्येक स्कूल से एक नोडल टीचर का चयन किया जाएगा एवं इसकी सूचना संकलित कर CBEO द्वारा BCMO से आवश्यक रूप से सांझा की जाएगी।

❖ कक्षा 10 तक के सभी बच्चों की सूचना निर्धारित प्रपत्र 1 में तैयार कर CBEO के माध्यम से संबंधित BCMO को उपलब्ध करवाये जावें।

❖ संस्था प्रधान स्कूलों में अभियान की तिथि व समय ए.एन.एम. से समन्वय कर निर्धारित करवायेंगे एवं बच्चों/अभिभावकों को टीकाकरण की तिथि एवं समय के बारे में कम से कम एक सप्ताह पूर्व अवगत करवाया जाएगा।

❖ स्कूल में गतिविधि पूर्ण होने पर छूटे हुए विद्यार्थियों की सूची बनाई जायेगी एवं इस सूची को टीकाकरण टीम में उपलब्ध एएनएम को दी जाएगी।

❖ पैरेंट टीचर मीटिंग में अभिभावकों की शंकाओं को दूर किया जाये, यदि आवश्यक हो तो संबंधित चिकित्याकर्मी से उनकी बातचीत करवाई जाये।

❖ बाल सभा एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय में एम.आर. अभियान के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार कराया जाये।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा,भाषा तथा पुस्तकालय विभाग एवं पंचायती राज (प्रारंभिक शिक्षा) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. शासन उप सचिव–प्रथम, शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक प्रारंभिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
5. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को क्षेत्राधिकार में निर्देशों की पालना हेतु समुचित पर्यवेक्षण एवं प्रभावी प्रबोधन हेतु।
6. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला परियोजना समन्वयक।
7. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
8. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक(माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

E:\Genral letter.docx

Scanned by CamScanner